



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30158-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **352/2026**

मोहम्मद यशा याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 11 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: माया राम

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जगदीश पाठक (स्थायी अधिवक्ता), आज़ाद राय, सत्येंद्र सिंह यादव

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को तहसील सदर, जिला प्रयागराज की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. प्रतिवादी संख्या 10, 11 और 12 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने इसी अधिवक्ता के माध्यम से रिट-सी संख्या 44416/2025 दायर की थी, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने 07.01.2026 को एक सकारण आदेश पारित करते हुए खारिज कर दिया था, हालांकि, वर्तमान जनहित याचिका में उक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है, जबकि यह समान राहत के दावे के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, जिन्होंने स्वयं रिट-सी संख्या 44416/2025 दायर की थी, के सामने उक्त आदेश रखा गया, तो उनके पास क्षमा मांगने के अलावा इस विषय पर कोई उत्तर नहीं था।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने उठाए गए मुद्दे पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री माया राम, राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अज़ाद राय को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अधिकारियों को पोलिंग बूथ 116 और 306, प्राथमिक पाठशाला, हटवा, तहसील सदर, प्रयागराज की मतदाता सूची से क्रम संख्या 907 से 932 और 1063 से 1112 तक के मतदाताओं के नाम हटाने का निर्देश देने की मांग हेतु दायर की गई है।

3. यद्यपि याचिका मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दायर की गई है, लेकिन उन्हें वर्तमान याचिका में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में नहीं बनाया गया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचकों का पंजीकरण) नियमावली, 1994 के नियम 10 के तहत परिकल्पित प्रपत्र-4 में कोई आपत्ति याचिकाकर्ता द्वारा उचित प्राधिकारी यानी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दायर नहीं की गई है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका भ्रामक प्रतीत होती है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। गुणदोष विहीन होने के कारण रिट याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।"

5. एक बार जब समान राहत की मांग करने वाली याचिका को गुणदोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है, तो वर्तमान जनहित याचिका दायर करना न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता दोनों द्वारा तथ्यों को छिपाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

6. फलस्वरूप, याचिका को 50,000/- रुपये के अनुकरणीय अर्थदंड के साथ खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. यह लागत याचिकाकर्ता से वसूल की जाएगी। रजिस्ट्रार (अनुपालन) को लागत की वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 11, 2026

आर.के./शाज़िया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"